भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 74
दिनांक 21 जुलाई, 2016 को उत्तरार्थ

राज्यों को जारी निधियां

†*74 श्री बी.एस. येदियुरप्पा :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों हेतु राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या विहित मानकों के अनुरूप राज्यों द्वारा उन्हें जारी की गई धनाशि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

****

राज्यों को जारी निधियों के विषय में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 74 केभाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

(क) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत विगत दो वर्षों में से प्रत्येक में, राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई धनराशि को दर्शाता हुआ विवरण क्रमश: **अनुबंध-I एवं II** पर रखा गया है। बीआरजीएफ का जिला घटक, वर्ष 2015-16 से केंद्रीय सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है ।

(ख) एवं (ग): आरजीपीएसए के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे अव्ययित शेष और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रप्त होने की शर्त पर आरजीपीएसए के विहित मानदंडों के अनुरूप वार्षिक योजनाओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समय-समय पर संपर्कों, बैठकों, कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से करता है, जिससे कि इस कार्यक्रम के तहत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके ।

जमीनी स्तर पर, बीआरजीएफ का कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के तहत, वित्तीय वर्ष के अंत में, वास्तविक एवं वित्तीय लेखा-परीक्षा के अलावा कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जा रहा था। पंचायती राज मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा की है और विडियो कॉफ्रेंस आयोजित किए हैं ।

******

अनुबंध-I

राज्यों को जारी निधियों के विषय में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 74 के भाग (क) के संदर्भित विवरण

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) योजना के तहत राज्य की वार्षिक योजना के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	
		वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 (*)
		जारी किया गया केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश
1	असम	26.04	17.08
2	आंध्र प्रदेश	24.19	12.50
3	अरूणाचल प्रदेश	7.72	-
4	बिहार	63.67	-
5	छत्तीसगढ़	11.40	14.64
6	चंडीगढ़	-	0.29
7	गोवा	-	1.06
8	गुजरात	1.06	-
9	हरियाणा	18.78	-
10	हिमाचल प्रदेश	15.26	2.48
11	जम्मू एवं कश्मीर	8.58	-
12	झारखंड	16.20	9.49
13	कर्नाटक	46.80	32.71
14	केरल	14.49	-
15	लक्षदीप	-	1.65
16	मणिपुर	5.42	5.40
17	मध्य प्रदेश	37.46	10.80
18	महाराष्ट्र	34.76	4.50
19	मिजोरम	2.48	-
20	ओडिशा	32.92	-
21	पंजाब	-	2.69
22	राजस्थान	11.56	4.48
23	सिक्किम	6.85	1.26
24	तमिलनाडु	20.16	8.96
25	त्रिपुरा	2.36	1.35
26	तेलंगाना	29.94	13.13
27	उत्तराखंड	13.04	3.09
28	उत्तर प्रदेश	-	11.00
29	पश्चिम बंगा ल	27.71	9.91
30	दादर एवं नागर हवेली	1.09	-
31	दमन एवं दीव	1.51	-
	कुल	**481.45**	**168.47**

राज्यों को जारी निधियों के विषय में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 74 के भाग (क) के संदर्भित विवरण

वर्ष 2014-15 के दौरान जारी निधि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2014-15 के दौरान जारी निधि	वर्ष 2015-16
1.	आंध्र प्रदेश	43.80	बीआरजीएफ कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.35	
3.	असम	139.41	
4.	बिहार	206.52	
5.	छत्तीसगढ़	218.26	
6.	गुजरात	65.07	
7.	हरियाणा	12.98	
8.	हिमाचल प्रदेश	11.92	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45.67	
10.	झारखंड	281.75	
11.	कर्नाटक	46.53	
12.	केरल	29.20	
13.	मध्य प्रदेश	221.22	
14.	महाराष्ट्र	236.14	
15.	मणिपुर	36.76	
16.	मेघालय	2.56	
17.	मिजोरम	24.39	
18.	नागालैंड	60.87	
19.	ओडिशा	179.46	
20.	पंजाब	14.87	
21.	राजस्थान	211.45	
22.	सिक्किम	12.32	
23.	तमिलनाडु	42.42	
24.	तेलंगाना	89.42	
25.	त्रिपुरा	12.63	
26.	उत्तर प्रदेश	346.86	
27.	उत्तराखंड	2.53	
28.	पश्चिम बंगाल	226.64	
कुल		**2837.00**	